"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 मई 2012—वैशाख 27, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/38/2011/वाक/पांच (26).—राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-2 की प्रविष्टि क्रमांक 63 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार, एतद्द्वारा "आई.टी. प्रोडक्ट" की अनुसूची निम्नानुसार अधिसूचित करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तु का नाम (2)
1	वर्ड प्रोसेसिंग मशीन
2	स्वचालित टाईपराईटर
3	स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन तथा इनके इकाई, मेग्नेटिक या आप्टिकल रीडर मशीन, डाटा से डाटा मिडिया में ट्रांसक्राईमिंग के लिये मशीन, कोडेड फार्म तथा ऐसे डाटा प्रोसेसिंग के लिये मशीन।
4	स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन तथा इनके इकाई, मेग्नेटिक या आप्टिकल रीडर मशीन, डाटा से डाटा मिडिया में ट्रांसक्राईमिंग के लिये मशीन, कोडेड फार्म तथा ऐसे डाटा प्रोसेसिंग के लिये मशीन।
5	कम्प्यूटर, सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो कम्प्यूटर, लार्ज अथवा मेन फ्रेम कम्प्यूटर एवं इसके पार्ट्स
6	कम्प्यूटर का इनपुट अथवा आउटपुट यूनिट, कम्प्यूटर प्रिंटर तथा स्केनर सहित एवं इसके पार्ट्स
7	स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन के स्टोरेज यूनिट तथा अन्य यूनिट जिनमें फ्लापी डिस्क, हार्ड डिस्क, ड्राईवर, रिमुवेएबल एवं एक्सचेंजेबल डिस्क ड्राईवर, मेग्नेटिक टेप ड्राईवर, कार्ट्रिज टेप ड्राईवर, सीडी-रोम ड्राईवर, डिजीटल विडियो डिस्क ड्राईवर सम्मिलित है।

8	स्विचमोड पावर सप्लाई सिस्टम तथा पार्ट्स एवं एसेसरीज
9	मॉडम (माड्यूलेटर्स डेमोलेटर्स)
10	लाईन टेलीफोनी अथवा लाईन टेलीग्राफी, जिसमें कार्डलेस हेंडसेट सहित लाईन टेलीफोन सम्मिलित है, के लिये इलेक्ट्रिकल आपरेट्स तथा केरियर करेंट लाईन सिस्टम या डिजीटल लाईन सिस्टम के लिये टेलीकम्युनिकेशन आपरेट्स, विडियोफोन।
11	कार्डलेस हेंडसेट सहित लाईन टेलीफोन सेट एवं इसके अटेचमेंट
12	फेक्सिमाईल मशीन
13	टेलीप्रिंटर
14	टेलीफोनिक अथवा टेलीग्राफिक, स्वीचिंग अपारेटस, टेलीफोन आंसरिंग मशीन एवं इसके पार्ट्स
15	पीएलसीसी इक्यूपमेंट
16	वाईस फ्रिक्वेंसी टेलीग्राफी
17	हाई बिट रेट डिजीटल सब्सक्राईबर लाईन सिस्टम (एच.डी.एस.एल.)
18	डिजिटल लूप केरियर सिस्टम (डीएलसी)
19	सिंक्रोनस डिजिटल हायरर्की सिस्टम (एस.डी.एच.)
20	मल्टीप्लेक्सर, स्टेटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सर
21	आईएसडीएन टर्मिनल एवं आईएसडीएन टर्मिनल एडाप्टर्स्
22	राऊटर
23	एक्स 25 पेड्स
24	सब्सक्राईबर तथा इक्युपमेंट
25	इंटरनेट पहुंच प्राप्त करने के लिये सेटआप बाक्स
26	पापुलेटेड, लोडेड या स्टफड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तथा इसके पार्ट्स
27	मेग्नेटिक डिस्क जिसमें हार्ड डिस्क पेक, फ्लापी डिस्क या डिस्केट्स एवं अन्य मेग्नेटिक डिस्क सम्मिलित है।
28	कार्ड जिसमें मेग्नेटिक स्ट्रिप समाविष्ट हो
29	काम्पेक्ट डिस्क (सीडी), डीव्हीडी
30	ध्वनि अथवा दृश्य से भिन्न घटना पुनः उत्पन्न करने वाले चुंबकीय टेप, डिस्क एवं इसके साफ्टवेयर
31	रेडियो प्रसारण अथवा टीवी प्रसारण उपकरण से भिन्न प्रसारण साधन
32	संचारण साधन, ग्रहण-समाविष्ट करने वाले उपकरण जिसमें वाकी-टाकी सेट, कार्डलेस-हेंडसेट, कार-टेलीफोन, ट्रांसपोर्टेबल टेलीफोन, समुद्री रेडियो संचारण उपकरण एवं अन्य सहायक रेडियो उपकरण।
33	टीवी पिक्चर ट्यूब को छोड़कर डेटा अथवा ग्राफिक्स डिस्प्ले ट्यूब तथा उनके पार्ट्स
34	माउंटेड पिजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स
35	आप्टिकल फाइबर केबल्स, नेटवर्किंग्स केबल्स जैसे फ्लेट केबल्स, CAT-3 केबल्स, CAT-5 केबल्स, CAT-6 केबल्स अनसिल्डेड, ट्विस्टेट पेयर UTP केबल्स।
36	आप्टिकल फाइबर तथा आप्टिकल फाइबर बंडल और केबल्स
37	नेटवर्किंग्स प्रोडक्ट्स, कनेक्टर्स, स्वीचेस, साकेट, रिले तथा 6एम्पीयर से 250 वोल्ट तक ज्वाइंटिंग किट और ज्वाइंटिंग मेटिरियल के एसेसरिज।

38	फैक्स मशीन, स्कैनर तथा उनके पार्ट्स

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2012

क्रमांक एफ-10/38/2011/वाक/पांच (26).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/38/2012/वाक/पांच (26), दिनांक 16-05-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 16 May 2012

NOTIFICATION

No. F-10/38/2011/CT/V (26).—In pursuance of the requirement under entry 63 of part-II of Schedule-II of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby notified the goods specified in Schedule below as "IT Product" for the purpose of the said entry, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of goods (2)
1	Word processing machines
2	Automatic typewriters
3	Automatic data processing, machines and units thereof, magnetic or optical readers, machines for transcribing, data on to data media in coded form and machines for processing such data.
4	Analogue or hybrid automatic data processing machines
5	Computer, central processing unit, micro computer, large or main frame computer and parts thereof.
6	Input or output units of computer, including computer printer and scanners & parts thereof.
7	Storage units :- floppy disc drives, hard disc drives, removable or exchangeable disc drives, magnetic tape drives, cartridge tape drive, CD-Rom drive, digital video disc drive, Other units of automatic data processing machines.
8	Switch Mode Power Supply Systems and part & accessories thereof.
9	Modems (modulators demodulators)
10	Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy, including line telephone sets with cordless handsets and telecommunication apparatus for carrier-current line systems or for digital line systems; videophones.

11	Line Telephone sets with cordless handsets and its attachments.
12	Facsimile machines
13	Tele printers.
14	Telephonic or telegraphic, switching apparatus, Telephone answering machines and their parts.
15	PLCC equipment.
16	Voice frequency telegraphy.
17	High bit rate digital subscriber line system (HDSL).
18	Digital loop carrier system (DLC).
19	Synchronous digital hierarchy system (SDH).
20	Multiplexer, statistical multiplexer.
21	ISDN terminals & ISDN terminal adapters.
22	Routers.
23	X25 pads.
24	Subscriber end equipment.
25	Set top boxes for access to internet.
26	Populated, loaded or stuffed printed circuit boards and its parts.
27	Magnetic discs, including hard disc pack, floppy disc or diskettes and other magnetic discs.
28	Cards incorporating a magnetic stripe.
29	Compact disk (CD), DVD,
30	Discs for reproducing phenomena other than sound or image including software.
31	Transmission apparatus other than apparatus for radio broadcasting or TV broadcasting.
32	Transmission apparatus incorporating reception apparatus, including walki talkie sets, cordless handsets, car telephone, transportable telephone, marine radio communication equipment, amateur radio equipment.
33	Data or graphic display tubes, other than TV picture tubes and parts thereof.
34	Mounted piezo-electric crystals.
35	Optical fiber cables, Networking cables such as Flat cables, CAT 3 cables, CAT 5 cables, CAT 6 cables, unshielded twisted pair (UTP) cables.

36	Optical fibers and optical fiber bundles and cables.
37	Networking products, connectors, switches, sockets relays & accessories for upto 6 amps at voltage not exceeding 250 volts jointing kit & jointing material.
38	Fax machine, scanner and its parts.

2. This notification shall come into force from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-38/2011/वाक/पांच (27).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-2 के अ. क्र. 63 की वर्तमान प्रविष्टि "आई.टी. उत्पाद जिनमें सम्मिलित है, कम्प्यूटर, टेलीफोन तथा उसके पूर्जे टेलीप्रिंटर और वायरलेस उपकरण तथा उसके पूर्जे डी.व्ही.डी. एवं सी.डी." के स्थान पर प्रविष्टि "आई.टी. प्रोडक्ट्स, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें" प्रतिस्थापित की जाए.

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2012

क्रमांक एफ-10-38/2011/वाक/पांच (27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-38/2011/वाक/पांच (27), दिनांक 16-05-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 16 May 2012

NOTIFICATION

No. F-10-38/2011/CT/V (27).—In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments :—

AMENDMENT

In the present entry of part-II of Schedule-II of the said Act, in S. No. 63 "IT product including computers, telephones and teleprinter and wireless equipment and part thereof, DVD, CD" the new entry "IT Products as notified by the State Government" shall be substituted.

2. This amendment shall come into effect from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-19/2012/वाक/पांच (28).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 3 की उपधारा 4, सहपठित छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम 2006 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-10-377/2001/वाक/पांच (72) रायपुर दिनांक 24-11-2001 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-377/2001/वाक/पांच (68) रायपुर दिनांक 14-6-2002 एवं अधिसूचना क्रमांक 10-65/2008/वाक/पांच (54) रायपुर दिनांक 15-12-2008 को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के अधिकारी उनके सम्मुख स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित वृत्तों के लिए स्तंभ क्रमांक (4) में बताई गई सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा उनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में दर्शाये स्थान पर रहेगा :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	पद का नाम (2)	वृत्त का नाम (3)	वार्ड/क्षेत्र का नाम एवं वार्ड का अनुक्रमांक (यदि कोई हो तो) (4)	मुख्यालय (5)
1.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रायपुर वृत्त-एक	रायपुर शहर में जय स्तंभ चौक से आमापारा चौक, महोबा बाजार, टाटीबंध चौक तक का रायपुर से दुर्ग जाने वाली जी.ई. रोड का बाईं ओर का समस्त क्षेत्र। टाटीबंध चौक से रिंग रोड नंबर 1 होते हुए पचपेड़ी नाका तक बाईं ओर का समस्त क्षेत्र। पचपेड़ी नाका से काली बाड़ी होते हुए बिजली चौराहा होते हुए जय स्तंभ चौक तक का बाईं ओर का समस्त क्षेत्र।	रायपुर

2.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रायपुर वृत्त-दो	रायपुर शहर में शारदा चौक से गुरुनानक चौक होते हुए स्टेशन रोड गुरुद्वारा होते हुए स्टेशन चौक (सुभाष चौक) से गुढ़ियारी रेल्वे क्रासिंग तक बायीं ओर का समस्त क्षेत्र। शारदा चौक से आमापारा चौक होते हुए समता कालोनी की ओर अग्रसेन चौक एवं आगे तेलघानी नाका रेल्वे क्रासिंग तक दायीं ओर का क्षेत्र। तेलघानी नाका रेल्वे क्रासिंग से गुढ़ियारी रेल्वे क्रासिंग तक मुंबई-हावड़ा रेल्वे लाईन की दायीं ओर का समस्त क्षेत्र।	रायपुर
3.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रायपुर वृत्त-तीन	रायपुर शहर में जय स्तंभ चौक से सिटी कोतवाली चौक होते हुए, पचपेड़ी नाका, देवपुरी होते हुए माना तक रायपुर राजस्व तहसील में बायीं ओर का समस्त क्षेत्र। माना से देवपुरी होते हुए पचपेड़ी नाका एवं रिंग रोड नंबर 1 में टाटीबंध चौक होते हुए खारून नदी पुल तक बायीं ओर रायपुर राजस्व तहसील का समस्त क्षेत्र। रायपुर शहर में जय स्तंभ चौक से तेलीबांधा होते हुए व्ही.आई.पी. चौक एवं एयर पोर्ट की ओर दायीं ओर का समस्त क्षेत्र एयरपोर्ट से माना की ओर रायपुर राजस्व तहसील का भीतर की ओर का समस्त क्षेत्र।	रायपुर
4.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रायपुर वृत्त-चार	रायपुर शहर में जय स्तंभ चौक से शास्त्री चौक होते हुए फाफाडीह चौक तक का समस्त बायां भाग एवं फाफाडीह चौक से जय स्तंभ चौक की ओर का समस्त बायां भाग। फाफाडीह से वाल्टेयर रेल्वे क्रासिंग के पश्चात् खमतराई, भनपुरी, रावांभाठा होते हुए सिलतरा तक का समस्त दायां भाग जो रायपुर राजस्व तहसील की सीमा तक है।	रायपुर
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी,	रायपुर वृत्त-पांच	रायपुर शहर में तेलघानी नाका रेल्वे क्रासिंग से अग्रसेन चौक होते हुए आमानाका (घासीदास प्लाजा) तक का दायां भाग। घासीदास प्लाजा से दुर्ग की ओर महोबा बाजार होते हुए टाटीबंध चौक तक का दायां भाग, टाटीबंध चौक से रिंग रोड क्रमांक-2 से भनपुरी स्थित विजय कुमार दम्मानी पेट्रोल पंप से फाफाडीह की ओर वाल्टेयर रेल्वे क्रासिंग तक का दायां भाग, रेल्वे क्रासिंग से रेल्वे ट्रेक के किनारे होते हुए तेलघानी नाका रेल्वे क्रासिंग तक का समस्त दायां भाग जिसमें खमतराई, श्रीनगर, गुढ़ियारी आदि शामिल है।	रायपुर
6.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रायपुर वृत्त-छः	रायपुर शहर में शारदा चौक, स्टेशन रोड सुभाष चौक होते हुए गुढ़ियारी रेल्वे क्रासिंग तक दायीं ओर का समस्त क्षेत्र, शारदा चौक से जय स्तंभ चौक होते हुए के. के. रोड, फाफाडीह चौक एवं वाल्टेयर रेल्वे क्रासिंग तक बायीं ओर का समस्त क्षेत्र जो गुढ़ियारी रेल्वे क्रासिंग तक है।	रायपुर
7.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रायपुर वृत्त-सात	रायपुर शहर में शास्त्री चौक से तेलीबांधा होते हुए मंदिर हसौद की ओर का बायां भाग एवं शास्त्री चौक से कचहरी चौक होते हुए बलौदा बाजार मार्ग की ओर का दायां भाग जो रायपुर	रायपुर

			राजस्व तहसील की सीमा तक है। व्ही.आई.पी.चौक से एअर पोर्ट तक दांया भाग, मंदिर हसौद, आरंग तहसील एवं अभनपुर तहसील नवापारा (राजिम) भी शामिल है।	
8.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रायपुर वृत्त–आठ	रायपुर शहर में कचहरी चौक से फाफाडीह चौक होते हुए वाल्टेयर रेल्वे क्रासिंग तक का समस्त दांया भाग। कचहरी चौक से मोवा रेल्वे क्रासिंग होते हुए विधान सभा एवं आगे का समस्त बांया भाग जो रायपुर राजस्व तहसील की सीमा तक है।	रायपुर
9.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रायपुर वृत्त–नौ	रायपुर शहर में खारुन नदी पुल से टाटीबंध चौक होते हुए रिंग रोड क्रमांक–2 पर भनपुरी तिराहे तक का समस्त बांया भाग। भनपुरी तिराहे से बिलासपुर की ओर ग्राम चरोदा (धरसींवा) तक का समस्त बांया भाग। सम्पूर्ण राजस्व जिला गरियाबंद इसके अतिरिक्त रायपुर राजस्व जिले का वह क्षेत्र जो अन्य किसी वृत्त में शामिल नहीं है।	रायपुर
10	वाणिज्यिक कर अधिकारी	महासमुंद वृत्त	सम्पूर्ण राजस्व जिला महासमुंद।	महासमुंद
11.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	भाटापारा वृत्त	संपूर्ण राजस्व जिला बलौदाबाजार।	भाटापारा
12.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	धमतरी वृत्त	संपूर्ण राजस्व जिला धमतरी एवं संपूर्ण राजस्व जिला कांकेर।	धमतरी
13.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	जगदलपुर वृत्त–एक	जगदलपुर नगर पालिक निगम सीमा में आने वाले वार्ड कमांक–1 से लेकर वार्ड कमांक 15 तक एवं संपूर्ण राजस्व जिला कोंडागांव तथा संपूर्ण राजस्व जिला नारायणपुर।	जगदलपुर
14.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	जगदलपुर वृत्त–दो	जगदलपुर नगर निगम सीमा में आने वाले वार्ड क्रमांक 16 से लेकर वार्ड क्रमांक 40 तक। जगदलपुर तहसील (नगर निगम सीमा को छोड़कर) संपूर्ण राजस्व जिला दंतेवाड़ा। संपूर्ण राजस्व जिला बीजापुर एवं संपूर्ण राजस्व जिला सुकमा। इसके अतिरिक्त जगदलपुर राजस्व जिले का वह क्षेत्र जो किसी वृत्त में शामिल नहीं है।	जगदलपुर
15.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	दुर्ग वृत्त–एक	दुर्ग नगर निगम का वार्ड क्रमांक 1 से 35 तथा 55 से 58 तक एवं संपूर्ण राजस्व जिला बालोद।	दुर्ग

16.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	दुर्ग वृत्त–दो	भिलाई नगर निगम सेक्टर 1 से 6 तक,सिविक सेंटर, भिलाई स्पात संयंत्र का संपूर्ण क्षेत्र (सेक्टर 7 से 10 को छोड़कर) रुआबांधा,मैत्रीनगर मड़ोदा, भिलाई तीन, चरौदा (चरौदा नगर पालिक क्षेत्र, कुम्हारी नगर पंचायत क्षेत्र) पुलगांव, उतई एवं पाटन तहसील (नगर पंचायत क्षेत्र) दुर्ग जिले का आंतरिक क्षेत्र ग्रामीण आकाश गंगा (भिलाई नगर निगम क्षेत्र) महात्मा गांधी मार्केट, रवि शंकर शुक्ल मार्केट, पावर हाउस चौक से नंदिनी की ओर जाने वाली नंदिनी रोड के दांयी ओर का क्षेत्र, जामुल तक एवं नहर तक (शास्त्री मार्केट, सिनेमा कालोनी) टी मार्केट एवं बंदी कालोनी (भिलाई नगर निगम क्षेत्र) लाईट इण्डस्ट्रियल एरिया, सेक्टर–11, खुर्सीपार, भिलाई–3, चरौदा (चरौदा नगर पालिक क्षेत्र)	दुर्ग
17.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	दुर्ग वृत्त–तीन	दुर्ग तहसील का वह क्षेत्र जो दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, बोरई, जामुल,अहिवारा, नंदिनी, दुर्ग से रायपुर जानी वाली जी.ई. रोड,रायपुर नाका रेल्वे क्रासिंग के बांयी ओर का क्षेत्र (भिलाई नगर निगम क्षेत्र) स्मृति नगर, नेहरु नगर, जुनवानी माडल टाउन, कोसानाला, सुपेला, रामनगर, वैशाली नगर, शांति नगर, गुरुनानक मार्केट, कांट्रेक्टर कालोनी, केम्प–दो एवं जवाहर मार्केट,पावर हाउस चौक से नंदिनी की ओर जाने वाली नंदिनी रोड के बांयी ओर का क्षेत्र जामुल तक,पावर हाउस से नंदिनी रोड का बांयी ओर का क्षेत्र, इण्डस्ट्रियल स्टेट भिलाई,छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कालोनी,मदर टेरेसा नगर (भिलाई नगर निगम क्षेत्र) एवं हैवी इंडस्ट्रियल एरिया, हथखोज एवं ट्रांसपोर्ट नगर।	दुर्ग
18.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	दुर्ग वृत्त–चार	नगर निगम दुर्ग के वार्ड कमांक 36 से 54 यथा 36–गंजपारा, 37–आजाद वार्ड, 38–मिलपारा, 39–कचहरी वार्ड, 40–सुराना कालेज वार्ड, 41–केलाबाड़ी, 42–कसारीडीह (पश्चिम) 43– कसारीडीह (पूर्व) 44–गुरु घासीदास वार्ड, 45–पद्मनाभपुर(पश्चिम) 46–पद्मनाभपुर (पूर्व) 47–सिविल लाईन, (उत्तर) 48–सिविल लाईन (दक्षिण) 49–बोरसी (पश्चिम)	दुर्ग

			50—बोरसी (पूर्व) 51—बोरसी (दक्षिण) 52—पोटियाकला(उत्तर) 53—पोटियाकला (दक्षिण) 54—पुलगांव वार्ड का क्षेत्र। भिलाई के सेक्टर 7 से 10 तथा हास्पिटल सेक्टर हुडको, कुम्हारी नगर पंचायत, कोलिहापुरी के क्षेत्र, धमधा नगर पंचायत एवं धमधा राजस्व तहसील का समस्त क्षेत्र, चिखली, जेवरा सिरसा, कचान्दुर, ढौर तथा समोदा के ग्रामीण क्षेत्र। बेमेतरा जिले का बेरला तथा साजा तहसील का क्षेत्र। इसके अतिरिक्त दुर्ग राजस्व जिले का वह क्षेत्र जो किसी वृत्त में शामिल नहीं है।	
19.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	कवर्धा वृत्त	संपूर्ण (कबीर धाम) कवर्धा जिला एवं बेमेतरा राजस्व जिले की नवागढ़, बेमेतरा एवं थानखम्हरिया तहसील का क्षेत्र।	**कवर्धा**
20.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	राजनांदगांव वृत्त	संपूर्ण राजस्व जिला राजनांदगांव।	**राजनांदगांव**
21.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	बिलासपुर वृत्त—एक	नेहरु चौक से तिफरा फाटक तक बिलासपुर से रायपुर की ओर जाने वाली रोड का बांयी ओर का क्षेत्र, रायपुर नाका से व्यापार बिहार तक का बांयी ओर का क्षेत्र, अज्ञेय नगर प्रियदर्शिनी नगर, विद्या नगर, कांति नगर, डीपूपारा विद्या उप नगर, तारबहार से एफ.सी.आई.रोड तक हेमू नगर चुचुहियापारा, राजेन्द्र नगर, वृहस्पति बाजार, मिशन स्कूल से ईदगाह चौक, धर्म अस्पताल चौक तक जूनी लाईन मसानगंज, खपरगंज, नेहरु चौक के दांयी ओर का क्षेत्र, चांटापारा तिलक नगर, गोलबाजार, मानसरोवर लाज तक, लिंक रोड, तारबहजार चौक का दोनों ओर का भाग, तारबहार चौक से हाईकोर्ट रोड, गांधी पुतला चौक का दोनों ओर का क्षेत्र जिसमें आदर्श कालोनी का क्षेत्र शामिल है। अग्रसेन चौक से बस स्टेण्ड तक, श्रीराम क्लाथ मार्केट, निरालानगर, ईमलीपारा, मगरपारा को शामिल करते हुए तालापारा तक सिटी कोतवाली से तेलीपारा रोड होते हुए सी.एम.डी.कालेज के दोनों ओर का क्षेत्र जिसमें मेडिकल काम्पलेक्स,बजरंग मार्केट, करबला रोड आदि शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र मस्तूरी, गतौरा, जयराम नगर, मल्हार, जोंधर, सकरी, भरनी, कानन पेंडारी, घुटकू गनियारी का क्षेत्र एवं करगी रोड कोटा शामिल है।	**बिलासपुर**

22.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	बिलासपुर वृत्त–दो	सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, चकरभाठा, हिर्री, बोदरी, परसदा एवं संपूर्ण बिल्हा तहसील, उस्लापुर रेल्वे फाटक से नेहरु चौक तक का दांया क्षेत्र एवं नेहरु चौक से तिफरा फाटक का दांयी ओर का क्षेत्र जिसमें मिनोचा कालोनी, नर्मदा नगर, सिंधी कालोनी, अमेरी रोड, नेहरु नगर, शांति नगर, ओम नगर तथा जरहाभाठा, रायपुर नाका चौक से व्यापार बिहार, रिंग रोड क्रमांक 2 के दाहिनी ओर का क्षेत्र जिसमें तारबहार, बनाक चौक होते हुए व्यापार बिहार, ट्रांसपोर्ट नगर का संपूर्ण क्षेत्र, तिफरा औद्योगिक क्षेत्र उस्लापुर रेल्वे फाटक से मानसरोवर लाज तक के बांयी ओर का क्षेत्र जिसमें गोलबाजार, गोंडपारा, सदर बाजार, सरकंडा, राजकिशोर नगर, लिंगियाडीह, बेलतरा एवं रतनपुर, मोपका, सीपत, चिल्हाटी, कोनी से बसंत बिहार तक।	**बिलासपुर**
23.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	बिलासपुर वृत्त–तीन	मानसरोवार लॉज से तोरवा तक के दांहिनी ओर का क्षेत्र जिसमें जूना बिलासपुर, दयालबंद, जगमल चौक, तोरवा आदि शामिल है। टिकरापारा बस स्टेण्ड, मंदिर चौक से आनंद होटल तक के व्यवसायिक प्रतिष्ठान। बिलासपुर निगम क्षेत्र का मिश्रा पुस्तकालय से कनोई पेपर मिल का बांया क्षेत्र एवं लाल खदान का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें जूना बिलासपुर, गांधी चौक, दयालबंद, तोरवा, देवरीखुर्द व लालखदान बुधवारी बाजार एवं सूंपर्ण रेल्वे क्षेत्र व शनिचरी बाजार तथा बेलगहना, खोड्री, खोंगसरा, पेन्ड्रा, पेन्ड्रारोड, मरवाही ग्रामीण क्षेत्र आदि शामिल है। संपूर्ण राजस्व जिला मुंगेली। इसके अतिरिक्त बिलासपुर राजस्व जिले का वह क्षेत्र जो किसी वृत्त में शामिल नहीं है।	**बिलासपुर**
24.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	कोरबा वृत्त- एक	कोरबा राजस्व तहसील का टी.पी. नगर एवं टी.पी. नगर बायपास, सी.एस.ई.बी. चौक से शारदा विहार चौक से मुरारका मार्केट (मुरारका पेट्रोल पंप) तक, पावर हाऊस रोड का दाहिना क्षेत्र जिसमें दीनदयाल मार्केट, हीरानंद मार्केट व दर्री रोड एवं पाली राजस्व तहसील का सम्पूर्ण पाली तहसील। कटघोरा राजस्व तहसील का कटघोरा स्थानीय नगर पंचायत, कटघोरा ग्रामीण, दीपिका, गेवरा, छूरी, गोपालपुर, जटगापसान, एतमानगर, मांचाडोली (कुसमुण्डा, सूराकछार, बाकीमोंगरा, एन.टी.पी.सी. दर्री जमनीपाली को छोड़कर) कटघोरा तहसील का सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र। पोड़ी उपरोड़ा राजस्व तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र।	**कोरबा**

25.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	कोरबा वृत्त–दो	कोरबा राजस्व तहसील का शारदा विहार चौक से मुरारका मार्केट, पावर हाऊस रोड का बायां क्षेत्र जिसमें एस.एस. प्लाजा व अभिनंदन काम्पलेक्स, रेल्वे स्टेशन से मेन रोड सीतामढ़ी , मुरारका मार्केट, रानी रोड पुरानी बस्ती, पुराना बस स्टैण्ड, सर्वमंगला रोड, मिशन रोड, मुढापार बुधवारी बाजार, आई.टी.आई रामपुर, बाल्को, कोरबा इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामपुर बाल्को, निहारिका रोड से घंटाघर चौक, एम.पी. नगर, रविशंकर शुक्ल नगर, आर.पी. नगर, नेहरू नगर, कोसा बाड़ी, उरगा, पताड़ी, सरग–बुंदिया, मड़वारानी, कोथारी व कोरबा तहसील के समस्त ग्रामीण खेत्र। कटघोरा राजस्व तहसील का कटघोरा ग्रामीण क्षेत्र, कुसमुण्डा, सूराकछार, बाकीमोंगरा, एन.टी.पी.सी. दर्री, जमनीपाली क्षेत्र तथा करतला राजस्व तहसील का संपूर्ण क्षेत्र। इसके अतिरिक्त कोरबा राजस्व जिले का वह क्षेत्र जो किसी वृत्त में शामिल नहीं है।	कोरबा
26.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रायगढ़ वृत्त–एक	रायगढ़ का शहरी क्षेत्र का जिसमें राजीव नगर, धांगरडीपा, रावाभांठा, अम्बेडकर नगर, जगतपुर, इंदिरा नगर, कुम्हार पारा, रीचापारा, मधुबन पारा, बागतालाब, जोगीडीपा, रामगुड़ीपारा, बहिदारपारा, दानीपारा, बीडपारा, जयसिंह तालाब, गौशालापारा, बैकुण्ठपुर, दरोगापारा, दीवानपारा, सत्तीगुड़ी चौक, स्टेशन पारा, पथिक होटल, सदर हटरी, गर्ल्स कालेज, श्याम टाकीज, हण्डी चौक, कारगिल चौक, गणेश तालाब, गांधी गंज, रामनिवास चौक, संजय काम्पलेक्स, गांधी चौक, निरमल लाज, धर्मशाला, पेट्रोल पंप, एस.बी.आई मेन ब्रांच, बसंत माला चौक,, भूपदेवगंज, सुभाष चौक, गुरुद्वारा हटरी चौक, मंदिर चौक, इतवारी बाजार, के.जी.हास्पिटल, एस.बी.आई. कृषि शाखा, सोनारपारा, जूनागढ़ पारा, शहीद चौक, केलो विहार,सांवडिया बिल्डिंग, गोपी टाकीज, सी.एस.ई.बी., केला ब्रिज, रेल्वे बंगलापारा, बूढ़ीमाई वार्ड शामिल हैं। रायगढ़ राजस्व तहसील का संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र तथा सारंगढ़ राजस्व तहसील का सपूर्ण क्षेत्र।	रायगढ़
27.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रायगढ़ वृत्त–दो	नगर पालिका निगम रायगढ़ का वार्ड कमांक 24 से 38 तक जिसमें बेंदुला, नार्थ चक्रधर नगर, सिंधी कालोनी, स्टेडियम,कसेरपारा, पालिटेकनिक कालेज, विनोबा नगर, साउथ चक्रधर नगर, छोटे अतरमुड़ा पंजरी प्लांट, जेलपारा, बाजीराव पारा, बाजीनपाली, महरपारा, जूटमिल वार्ड, दीपापारा, झोपड़ीपारा, मिट्ठुमुड़ा, राजीव नगर, नवापारा,	रायगढ़

			देवारपारा शामिल है। घरघोड़ा एवं धर्मजयगढ़ तहसील का संपूर्ण क्षेत्र एवं खरसिया राजस्व तहसील का संपूर्ण क्षेत्र तथा संपूर्ण राजस्व जिला जशपुर। इसके अतिरिक्त रायगढ़ राजस्व जिला का वह क्षेत्र जो किसी वृत्त में शामिल नहीं है।	
28.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	जांजगीर चांपा वृत्त	संपूर्ण राजस्व जिला जांजगीर चांपा ।	जांजगीर चांपा
29.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सरगुजा वृत्त (अम्बिकापुर)	संपूर्ण राजस्व जिला सरगुजा, संपूर्ण राजस्व जिला सूरजपुर तथा संपूर्ण राजस्व जिला बलरामपुर ।	अम्बिकापुर
30.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	कोरिया वृत्त	संपूर्ण राजस्व जिला कोरिया ।	मनेन्द्रगढ़

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.06.2012 से से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2012

क्रमांक एफ 10-19/2012/वाक/पांच (28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-19/2012/वाक/पांच (28), दिनांक 16-05-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 16th May 2012

NOTIFICATION

No. F 10-19/2012/CT/V (28).—In exercise of the power conferred by sub-section 4 of section 3 the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), read with clause (e) of sub-rule (1) of rule 2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 superseeding the notification No. F-10-377/2001/CT/V (72), Raipur, dated 24-11-2001 and notification No. F-10-377/2001/CT/V(68) dated 14-06-2002, and the notification No. F 10-65/2008/CT/(54) dated 15-12-2008 the state Government hereby directs that the officers of the category specified in column (2) of the Schedule given below shall exercise the powers conferred by or under the said Act upto the extent shown in column (4) in respect of the circles shown against them in column (3) and shall perform the duties prescribed and their Head Quarters shall be located at the place in column (5) of the said Schedule :—

SCHEDULE

No. (1)	Name of the post (2)	Name of the circle (3)	Name of the ward area, the ward No. (if any) (4)	Head Quarter (5)
1.	Commercial Tax Officer	Raipur Circle-I	The area Comprises of left sides of G.E. Road from Jai Stambh Chowk to Amapara Chowk, Mahoba bazar, Tatibandh Chowk in Raipur city and the left side whole area from Tatibandh chowk to Pachpedi Naka Via Ring Road No. 1 and from Pachpedi Naka to Jai Stambh chowk Via Kalibadi and Bijali Chowk.	Raipur
2.	Commercial Tax Officer	Raipur Circle-II	The area Comprises of left sides from Sharda Chowk to Gudiyari Railway Crossing Via Gurunanak Chowk, Station Road Gurudwara, Station Chowk (Subhash Chowk) in Raipur city and the area from Sharda Chowk to Telghani Naka Railway Crossing Via Amapara Chowk towards Samta Colony, Agrasen Chowk and Telghani Naka, Railway Crossing Right Side area, and area from Telghani Naka Railway Crossing to Gudiyari Railway Crossing and Right Side area of Mumbai-Hawara Railway line.	Raipur
3.	Commercial Tax Officer	Raipur Circle-III	The area from Jai Stambh Chowk to Mana via City Kotwali Chowk, Pachpedi Naka, Devpuri. Left Side Area of Raipur Tehsil (Revenue), from Mana to Kharun River bridge via Devpuri, Pachpedi Naka, Tatibandh Chowk on Ring Road No. 1 left Side of The whole revenue area of Raipur Tehsil.	Raipur

4	Commercial Tax officer	Raipur Circle-IV	The area in Raipur city from Jai Stambh chowk to Fafadih chowk via Shastri chowk only left part and from Fafadih chowk to Jai Stambh chowk Only left part, area after Waltair Railway Crossing in Fafadih, which includes Khamtarai, Bhanpuri upto Siltara Via Ranwabhata (Only Right part) which extends upto the last limit of Raipur revenue Tahsil,	Raipur
5.	Commercial Tax officer	Raipur Circle-V	The area in Raipur city from Telghani Naka Railway Crossing to Amanaka (Ghasidas Plaza) via Agrasen chowk (Right part). And Ghasidas Plaza, towards Durg, upto Tatibandh chowk via Mahoba bazaar (Only Right part) and from Tatibandh chowk to Vijay Kumar Dammani Petrol Pump in Bhanpuri via Ring Road No. 2 (Only Right part) and from Vijay Kumar Dammani Petrol Pump towards Fafadih, Upto Waltair Railway Crosing (Only Right Part) and from Railway crossing to Telghani Naka railway Crosing via railway track (Only Right part), this particular area includes Khamtarai, Srinagar, Gudhiyari.	Raipur
6.	Commercial Tax officer	Raipur Circle-VI	The area in Raipur city from sharda chowk to Gudhiyari railway Crosing via Station Road Subhash chowk (Only Right part) and Area From sharda chowk to Waltair Railway Crosing via Jai Stambh chowk, K.K. Road, Fafadih chowk (Only left side). This particular area extends upto Gudhiyari railway crossing.	Raipur
7.	Commercial Tax officer	Raipur Circle-VII	The area in Raipur city from Shastri chowk towards Mandir Hasoud via Telibandha (Only left part) and area from Shastri chowk towards towards Baloda Bazar via kachhari chowk (Only Right Part), which extends upto the last limit of Raipur Revenue Tahsil, the area from VIP chowk to Airport (only Right Part) and Mandir Hasoud, Arang Tehsil, Abhanpur Tehsil, Nawapara(Rajim also included).	Raipur
8.	Commercial Tax officer	Raipur Circle-VIII	The area in Raipur city from Kutchehari chowk to Waltair Railway crossing via Fafadih (Only Right Part), the area from Kutchehari chowk to Mowa railway crossing upto Vidhan Sabha and left side area beyond Vidhan Sabha, which extends upto the last limit of Raipur revenue Tahsil.	Raipur

9.	Commercial Tax officer	Raipur Circle-IX	The area in Raipur city from Kharun River bridge to Bhanpuri Tiraha on Ring Road No. 2 via Tatibandh chowk (only left part), the area from Bhanpuri tiraha towards Bilaspur upto Village Charoda (dharsinwa) (Only left part), The Whole area of Revenue District Gariyaband. besides this rest of the area of Raipur revenue district, which doesnot comes under any other side.	Raipur
10	Commercial Tax officer	Mahasamund Circle	The whole area of revenue district Mahasamund.	Mahasamund
11.	Commercial Tax officer	Bhatapara	The whole area of Revenue district Balodabazar-Bhatapara.	Bhatapara
12	Commercial Tax officer	Dhamtari Circle	The whole area of revenue district Dhamtari and the Whole area of revenue district Kanker.	Dhamtari
13.	Commercial Tax officer	Jagdalpur Circle-I	The area in limits of Ward No. 1 to Ward No. 15 of Jagdalpur Nagar Nigam. The whole area of Revenue district Kondagaon and the whole area of revenue district Narayanpur.	Jagdalpur
14.	Commercial Tax officer	Jagdalpur Circle-II	The area in limits of Ward No. 16 to Ward No. 40 of Jagdalpur Nagar Nigam, Jagdalpur Tehsil (excluding the limits of Nagar Nigam). The whole area of revenue district Dantewada. The whole area of revenue destrict Bijapur. The whole area of Revenue district Sukma. Besides this rest of the area of Jagdalpur district, which doesnot comes under any other side.	Jagdalpur
15.	Commercial Tax officer	Durg Circle-I	The area of Ward No. 1 to 35 and Ward No. 55 to 58 of Nagar Nigam Durg and the area of whole revenue district Balod.	Durg
16	Commercial Tax officer	Durg Circle-II	Sector 1 to 6 Civic Center Bhilai Steel Plant of the entire area of Bhilai Nagar Nigam (excluding from sector 7 to 10) Ruwabandha, Maitri Nagar, Marouda, Bhilai-3, Charoda, (area of Charoda Nagar Palika of Kumhari Nagar Panchayat), Pulgaon, Utai and Patan Tehsil (Nagar Panchayat area), Internal rural area of Durg district, Akash Ganga(The area of Bhilai Nagar Nigam), Mahatma Gandhi market, Ravishanker Shukla Market, The right side area from Power house chowk towards Nandini on Nandini Road upto Jamul and canal (Shastri Market, Cinema colony), T-Market and Bandi Colony (The area of Bhilai Nagar Nigam), Light Industrial area, Sector 11, khursipar, Bhilai-3, Charoda (charoda Nagar Palika area).	Durg

17.	Commercial Tax officer	Durg Circle-III	The area includes that part of Durg Tehsil which doesnot comes under the area of Durg Nagar Nigam, Borai, Jamul, Ahiwara, Nandini, The left side area of Raipur Naka Railway crossing on Durg-Raipur, G.E. Road,(The area of Bhilai Nagar Nigam,), The area of Smriti Nagar, Nehru Nagar, junawani Modal Town, Konsanala, Supela, Ramnagar, Vaishali Nagar, Shanti Nagar, Gurunanak Market, Contractor Colony, Camp-2 and jawahar Market, The left side area on Nandini Road, which runs from Power house chowk, towards Nandini upto jamul Industrial Estate Bhilai, C.G. housing board colony, Mother Teressa Nagar (The area of Bhilai Nagar Nigam), and Heavy Industrial Area, hathkhoj and Transport Nagar.	Durg
18.	Commercial Tax officer	Durg Circle-IV	The area of ward No. 3C to 54 of Nagar Palika Durg, that is:- 36-Ganjpara, 37-Azad ward, 38-Millpara, 39-kutchahari ward, 40- Surana collage ward, 41-kelawadi, 42-Kasaridih(West), 43-Kasaridih(East), 44-Guru Ghasidas ward, 45-Padmanabhpur(West), 46-Padmanabhpur(East), 47-Civil Lines(North) 48-Civil Lines (South) 49-Borsi(West), 50-Borsi(East), 51- Borsi(South), 52-Potiyakala(North), 53- Potiyakala(South), 54- Pulgoan ward. The area sector 7 to sector 10 of Bhilai, Hospital Sector, Hudco, Kumhari Nagar Panchayat, The area of Koihapuri, The area of Dhamdha nagar Panchayat and Dhamdha revenue Tahsil, Rural area of Chikhli, Jewra Sirsa, Kachandur, Dhourr and Samoda. The area of Berla and Saja Tehsile of Bemetara Revenue District. besides this rest of the area of Durg Revenue district, which doesnot comes under any other sides.	Durg
19.	Commercial Tax Officer	Kawardha	The whole area of Kawardha Revenue district. The area of Navagarh, Bemetara and Thankhamharia Tehsile of Bemetara revenue district.	Kawardha
20.	Commercial Tax officer	Rajnandgaon	The whole area of revenue district Rajnandgaon.	Rajnandgaon
21.	Commercial Tax officer	Bilaspur Circle-I	The area of left side from Nehru chowk to Tifra Fatak. The left side area from Raipur Naka to Vyapar Vihar, The area of Agye Nagar, priyadarsini Nagar,	Bilaspur

			Vidhan Nagar, Kranti Nagar, Dipupara, vidha Upnagar, From Tarbahar to FCI Road Hemu Nagar, chuchuhiya, Rajendra Nagar, Vrahaspati Bazar From Mission School to Idgaha Chowk, Juniline, Masanganj, Khaparganj. The right side area of Nahru Chowk, Choutapara, Tilak Nagar, Goalbazar, Upto Manasarobar Lodge. Link raod both side of Tarbahar chowk, From Tarbahar chowk to High Court Road, Both side of Gandhi Putla chowk, which includes the area of adarsh Nagar, From Agrasen Chowk to Bus Stand, Sriram Cloth Market, Nirala Nagar, Imlipara Includes magarpara upto Talapara, From City Kotwali Via Telipara Road, Both Side of CMD collage, which includes Medical Complex, Bajrang Market, karbala Road etc. Rural Area:- Masturi, Gataura, jayram Nagar, Malhar, jandhar, Sakari, marani, Kanan pendari, Ghutku, Ganiyari, area includes Kargi Road Kota.	
22	Commercial Tax Officer	Bilaspur Circle-II	The area of Sirgitti Industrial area of Chakarbhatha, Hirri, Bodari, Parsada and entire Bhilai, Tehsil, From Uslapur railway fatak to Nahru chowk (Right Side). From Nahru chowk to Tifra Fatak (Right Side), Which includes Minocha colony, Narmada Nagar, Sindhi colony, Ameri Road Nehru, Shanti Nagar, Om Nagar and jharahabhatha. From Raipur Naka chowk to Vyapar Vihar, The right side area of Ring Road No-2, which includes Tarbahar, Banak chowk, Vyapar Vihar and Transport Nagar complete area Tifra Industrial Area From uslapur railway fatak to Mansarowar Lodge (Left side), which includes Golbazar, Gondpara, Sadar bazar, Beltara and Ratanpur, Sarkanda, Rajkishor Nagar, Ligenyadih, Mopaka, Sipat, Chilhati, from Koni to Basant Vihar.	Bilaspur
23	Commercial Tax Officer	Bilaspur Circle-III	The right side area of Manasarowar Lodge to torawa that includes Juna Bilaspur, Dayalbandh, Jagamal chowk Torawa etc. All commercial units of Tikarapara bus-Stand, Mandir chowk to Shiv Talkies chowk both side of the Road. Nigam area includes from Mishra Pustakauaya to Konai paper mill (left side) Entire area of – Lal Khadan which includes Juna Bilaspur, Gandhi chowk, Dayalbandh, Torawa, Devriyakhurd and Lal khadan Budhwari Bazar and entire area of Railway and Sanichari Bazar. Rural areas includes:- Belgahana, [illegible]odri, Khongsara, Pendra, Pendra Road, Marwahi [illegible] The whole area of Revenue district [illegible]igel[illegible] Besides this rest of the area of Bilaspur [illegible]enu[illegible] District which does not comes under any side	Bilaspur
24.	Commercial Tax Officer	[illegible] Circle-I	The [illegible]rea Includes that part of korba [illegible]enue Tehsil T.P.Nagar, and T.P. Nagar Bypass, [illegible] check to sharda chowk to murarka marke[illegible] a petrol pump) right side of power house Roa[illegible] [illegible]lud[illegible] Dindayal market, Hiranand Market, Darri [illegible] a whole area of Pali Tehsil and the area of K[illegible]hor[illegible] Nagar panchayat katghora. Revenue Teh[illegible] rural area of katghora Deepika, Geora, chhuri, Gopalpur, Jatgapasan, Atmanagar, Machadoli, not include, Whole rural area of Katghora revenue Tehsil	Korba

			Kusmunda, Surakachhau, Bankimongara, NTPC, Darri, Jammupali, whole area of Podiuprada revenue Tehsil.	
25.	Commercial Tax officer	Korba circle-II	The area of Korba revenue Tehsil of saradvihar chowk to murarba market left side of power house include in s.s.plaza and Abhinandan complex, railway station to main road sitamai, murarba market raniroad puranibasti, old Bus stand, Sarvamngla road, mission road, mudapar budhuwari bazaar ITI Rampur, Balco, Korba Industrial area, Rampur balco, Niharika road to ghantaghar chowk m.p.Nagar, ravishankar shukla nagar, R.P. nagar, Nehru nagar, Kasabadi urga, Patade, Saragbundiya madwarani Kothare and The whole rural area of Korba Tehsil, Rural area of Katghora revenue Tehsil Kusmunda, Surakachhar bankimongura, N.T.P.C. darri, Jamnipali area and whole area of Kartala revenue Tehsil. Beside this rest of the area of Korba revenue district which does not comes under any other side.	Korba
26.	Commercial Tax Officer	Raigarh Circle –I	The area of Rajiv Nagar Dhangardipa, Rawabhatha, Ambedkar Nagar, Jagatpur, Indira Nagar, Kumhar Para, Richapara, Madhuban para, Bag talab, Jogidipa, Ramgudipara, Bahidarpara, Danipara, Bidapara, Jaya Singh Talab, Goshala para, Baikunthpara, Daroga para, Diwan para, Sattigudi chowk, Station para, Pathik Hotel, Sadar Handi chowk, Kargil chowk Ganesh talab, Gandhi ganj, Ram Niwas chowk, Sanjay Complex, Gandhi chowk, Nirmal Lodge Dharamsala, petrol pump, SBI Main Branch, Basant mala chowk. The entire Saranggarh tehsil, Bhupdevganj Subhash chowk, Gurudwara, Hatri chowk, Mandir chowk, Itwari Bazar, k.g. Hospital, SBI, Agriculture Branch, Sonarpara, Junagarh para, Sahid chowk, Keli vihar, Sandiya Building, gopi Talkies, CSEB Kiel Bridge, Railway banglow para, Budimai Ward, entire rurel area of Raigarh tehsil.	Raigarh
27.	Commercial Tax Officer	Raigarh Circle-II	The area of Ward No.24 to Ward No. 38 of Nagar Palika Nigam Raigarh, which includes the area of Bedula, North Chakradhar Nagar, Sindhi Colony, Stadium, Kaserpara, Polytechnique Collage, Vinoba nagar, South Chakradhar nagar, Chhote Atarmuda, Panjari Plant, Jelpara, Bajinpali, Maharpara, Jute Mill Ward, Dipapara, Jhopadi Para, Mitthmuda, Rajiv nagar, Nawapara, D[illegible]warpara, Gharghoda and entire area of Dharamjaiga[illegible] Tehsil, entire area of Jashpur revenue district, [illegible]kharsiya revenue tehsil Beside this rest of the are[illegible] Raigarh revenue district korba circle-II which doe[illegible] come[illegible] under any other side,	Raigarh

28.	Commercial Tax Officer	Janjgir Champa Circle	The Whole area of revenue district of Janjgir Champa.	Janjgir Champa
29.	Commercial Tax Officer	Surguja Circle (Ambikapur)	The Whole area of revenue district of Surguja, The whole area of revenue district of Surajpur and The whole area of Revenue District Balrampur.	Ambikapur
30.	Commercial Tax Officer	Korea	The Whole area of revenue district of Korea	Manendragarh

2. This notification shall be effective w.e.f 01-06-2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.